न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3491/2005/बूंदी

1— लक्ष्मीनारायण पुत्र नैनगा मृतक जरिए वारिसानः—
1/1— सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण
1/2— पुरूषोत्तम पुत्र लक्ष्मीनारायण
1/3— कालू पुत्र लक्ष्मीनारायण
1/4— छीतरीबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
2— रामलाल पुत्र नैनगा
3— सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण
4— पुरूषोत्तम पुत्र लक्ष्मीनारायण
समस्त निवासीगण करवर तहसील नैनवा जिला बूंदी।

...अपीलान्टस

बनाम

1— भूरा उर्फ भूरिया पुत्र नैनगा (मृतक) जरिए वारिसानः—
1/1— कस्तूरी बैवा भूरा उर्फ भूरिया
1/2— रतन पुत्र भूरा उर्फ भूरिया
समस्त जाति माली निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बूंदी।
1/3— भेरी पुत्री भूरा उर्फ भूरिया पत्नी मांगीलाल माली निवासी हुक्मपुरा तहसील व जिला बूंदी।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस ।
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक रेस्पो0 ।

————————

निर्णय

दिनांकः— 27.06.2024

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2005 जो की न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपील संख्या 62/2002 बउनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम भूरा में पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के न्यायालय में राज0काश्त0अधि0 1955 के अंतर्गत धारा 183 के तहत वाद विरूद्ध अपीलांटस इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 1451 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम करवर स्थित है भूमि खसरा नंबर 1397, 1398 ग्राम करवर की कृषि भूमि वादी के खाते में दर्ज है। वादी को यह भूमि लीजदार की हैसियत से मिली है जिस पर वह काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादीगण ने वाद पत्र में वर्णित भूमि के उत्तरी भाग पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया है तथा वादग्रस्त भूमि का हिस्सा लेने की गरज से भूमि छीनना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें। प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने जवाब पेश कर वादी का वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया। दौराने वाद परीक्षण न्यायालय ने दावे में 6 तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दिनांक 02.07.2001 को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/रेस्पो0 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने आंशिक स्वीकार करते हुए पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई जिस पर परीक्षण न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने आदेश दिनांक 11.09.2002 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2005 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादी/रेस्पो0 को प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध धारा 183 का वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आराजी मुतनाजा 50 वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादी के पिता नैनगा ने नौतोड़ कर आबाद की थी, किन्तु नैनगा के देहांत के पश्चात् भूरिया ने अपीलांट संख्या 1 व 2 की नाबालगी का फायदा उठाकर सभी भूमि लीजदारी में अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि भाई बंट के अनुसार प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है व स्वयं भूरिया ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पूर्व में नैनगा भूमि पर काश्त करता था व उसके पश्चात् भूरिया काश्त करता है। इससे स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता नेनगा की

खातेदारी की थी जिसका गलत अंकन भूमिया ने अपने नाम दर्ज करवा लिया व लीजदार होने के कारण भी उसे दावा लाने का अधिकार नहीं है, किन्तु अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी तौर पर वादी का वाद डिक्री कर अपीलांटस को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने का आदेश देने में त्रुटि कारित की है। आराजी मुतनाजा पूर्व में नैनगा के द्वारा नौतोड़ कर आबाद की गई थी व जब से ही वादी व प्रतिवादीगण लगातार 40 वर्षों से आराजी मुतनाजा पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है विपक्षी किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाए है कि सन् 1997 में आराजी मुतनाजा से बेदखल किया गया हो, किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना किसी साक्ष्य के महज जमाबंदी में विपक्षी का नाम दर्ज होने से अपीलांटस का नाम हजफ कर विपक्षी वादी का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 वादी ने अपीलांट के पिता नेनगा के जीवनकाल में कोई एतराज नहीं किया व उनकी मृत्यु के पश्चात् असत्य कथनों के आधार पर यह वाद पेश किया जो निरस्त किए जाने योग्य था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न करके त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का निर्णय गैर कानूनी तौर पर केवल जमाबंदी के गलत इन्द्राजों के आधार पर ही वादी के पक्ष में किया है, जबकि अपीलांटस ने उसके विरूद्ध साक्ष्य पेश किए है। अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के पिता नैनगा की भूमि होने के कारण संयुक्त कब्जे काश्त की रही है व प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्सा मिला हुआ है जिसकी मेड़बंदी हो रखी है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी का आराजी मुतनाजा पर गत 40 वर्षों से कोई कब्जा नहीं है व विपक्षी का वाद भी स्पष्टतया मियाद बाहर है, किन्तु महज खातेदारी के आधार पर ही विपक्षी का वाद डिक्री करने में अधी0न्याया0 ने भारी त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी ने अपने वाद में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि किस तरफ से कितनी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2002 को निरस्त किया जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। आगे कथन किया कि अपीलांटस ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त आराजी का 35—40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया हो। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 को आवंटित हुई थी तथा अपीलांटस का उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1451 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम करवर, तहसील नैनवां में अवस्थित है । खसरा नंबर 1397, 1398 ग्राम करवर की कृषि भूमि वादी के खाते में लीजदार की हैसियत से दर्ज है जिस पर वादी काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि के उत्तरी भाग पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया है । अतः प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावे । उक्त आशय का वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी 50 वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 नोतोड़ कर आबाद की थी व संयुक्त रूप से काश्त करते थे किन्तु तत्समय प्रतिवादीगण छोटे थे तथा वादग्रस्त भूमि का 40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था तभी से वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है । विचारण न्यायालय ने वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2001 को वादी का वाद निरस्त कर दिया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से वादी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2002 को वादी का वाद डिक्री किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2005 को अपीलांटस/प्रतिवादीगण की अपील खारिज की । राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत की है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है जिनके मध्य करीब 35—40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका था और पक्षकारान उसी अनुसार अपने—अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज काश्त है । पक्षकारान के पिता ने 50 साल पूर्व वादग्रस्त भूमि नोतोड़ कर आबाद किया था तथा पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में रहते थे तथा साथ कार्य करते थे किन्तु वादी ने वादग्रस्त भूमि अकेले अपने नाम लीज से दर्ज करवा ली है ।

8— इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संवत् 1953 से 1956 की जमाबंदी प्रदर्श 1 में भूरा वल्द नानगा कौम माली सा0देह लीजदार दर्ज है। अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि का 35—40 वर्ष बंटवारा होने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने संयुक्त आय से क्रय करने बाबत् कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । इसके विपरीत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि वादी/रेस्पो0 को आवंटन से प्राप्त होकर वादी के नाम दर्ज होना प्रमाणित है । जहां तक विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण/अपीलांट का कब्जा होने का प्रश्न है, अपीलांटस ने अपने बयानों में वादीग्रस्त भूमि पर कब्जा वादी/रेस्पो0 की सहमति से ही होना बताया है । केवल मात्र कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को विवादित भूमि में किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अपीलांटस ने ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि कभी भी उनके पिता के नाम दर्ज रही हो जिससे विवादित भूमि पैतृक आराजी मानी जा सके । अपील में लिए गए उज्र को साबित करने का भार अपीलांट का है जिसे दस्तवोजी साक्ष्यों से साबित करने में अपीलांटस असफल रहे है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज 2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

9— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांटस खारीज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2002 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष